भारत के राजपत्र असाधारण (भाग-1, खण्ड-1) में प्रकाशनार्थ
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011

<u>सार्वजनिक सूचना सं. 14 /2009-2014 (आर ई 2010)</u>
दिनांक 02 नवम्बर, 2010

विषयः अग्रिम प्राधिकार पत्रों के पुनर्वैधीकरण तथा लागत बीमा भाड़ा मूल्य/पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य में वृद्धि से संबंधित पैराग्राफ 4.21 और 4.23 में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1, 2009-14 (आरई 2010) में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं।

1. प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैराग्राफ 4.21 के दूसरे उप पैराग्राफ में संशोधन।

<u>मौजूदा उप-पैराग्राफ</u>

तथापि, विदेश व्यापार नीति, 2004-09 के तहत 27.8.2009 से पहले जारी किए गए अग्रिम प्राधिकार पत्रों के मामले में, प्राधिकार पत्र के मूल्य में किसी वृद्धि हेतु निम्नलिखित शर्तें लागू होंगीः-

(i) जहाँ भी निर्यात 27.8.2009 के बाद किया गया है, निर्यात के उस हिस्से के लिए लागत बीमा भाड़ा मूल्य/पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में वृद्धि 15 प्रतिशत के न्यूनतम मूल्य संवर्धन की शर्त के अधीन होगी।

(ii) जहाँ भी निर्यात 27.8.2009 से पहले किया गया है, लागत बीमा भाड़ा मूल्य/पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में वृद्धि 15 प्रतिशत के न्यूनतम मूल्य संवर्धन अथवा मूल अग्रिम प्राधिकार पत्र के आवेदन में घोषित मूल्य संवर्धन, जो भी कम हो, की शर्त के अधीन होगी।

<u>संशोधित उप-पैराग्राफ:</u>

" तथापि, विदेश व्यापार नीति, 2004-09 के तहत 27.8.2009 से पहले जारी किए गए अग्रिम प्राधिकार पत्र (पत्रों) के मामले में, प्राधिकार पत्र के मूल्य में किसी वृद्धि हेतु निम्नलिखित शर्तें लागू होंगीः-

(i) जहाँ भी निर्यात 27.8.2009 को अथवा उसके बाद किया गया है, निर्यात के उस हिस्से के लिए लागत बीमा भाड़ा मूल्य/पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में वृद्धि 15 प्रतिशत के न्यूनतम मूल्य संवर्धन अथवा परिशिष्ट-11ख में विनिर्दिष्ट मूल्य संवर्धन, जो भी कम हो, की शर्त के अधीन होगी।

(ii) जहाँ भी निर्यात 27.8.2009 से पहले किया गया है, लागत बीमा भाड़ा मूल्य/पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में वृद्धि 15 प्रतिशत के न्यूनतम मूल्य संवर्धन अथवा परिशिष्ट-11ख में विनिर्दिष्ट मूल्य संवर्धन अथवा मूल अग्रिम प्राधिकार पत्र के आवेदन में घोषित मूल्य संवर्धन, जो भी कम हो, की शर्त के अधीन होगी।

<u>इस संशोधन का प्रभावः</u>

(क) 27.8.2009 को किए गए निर्यातों के बारे में अस्पष्ट स्थिति को दूर कर दिया गया है।

(ख) परिशिष्ट 11ख में यथा निर्धारित मूल्य संवर्धन को भी इस उप पैरा के भाग (i) और (ii) दोनों में शामिल किया गया है।

2. प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैराग्राफ 4.23 के दूसरे उप पैराग्राफ में किए गए संशोधन को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

<u>मौजूदा उप पैराग्राफ:</u>

27.8.2009 के पहले जारी अग्रिम प्राधिकार पत्र के पुनर्वैधीकरण के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मूल्य संवर्धन 15 प्रतिशत (और विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.1.6 में उल्लिखित ब्यौरों के अनुसार) अथवा अग्रिम प्राधिकार पत्र में यथा निर्धारित, जो भी अधिक हो, तक बनाए रखा जाए।

<u>संशोधित उप पैराग्राफ:</u>

" 27.8.2009 के पहले जारी अग्रिम प्राधिकार पत्र के पुनर्वैधीकरण के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मूल्य संवर्धन 15 प्रतिशत (और विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.1.6 में उल्लिखित ब्यौरों के अनुसार) अथवा अग्रिम प्राधिकार पत्र में यथा निर्धारित, जो भी अधिक हो, तक बनाए रखा जाए। तथापि, परिशिष्ट-11ख के अनुसार मूल्य संवर्धन के साथ उत्पादों हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्रों के लिए, मूल्य संवर्धर्न परिशिष्ट 11 ख में उल्लिखित मूल्य संवर्धन के अनुसार अथवा अग्रिम प्राधिकार पत्र में यथा उल्लिखित मूल्य संवर्धन, जो भी अधिक हो, होगा।"

<u>इस संशोधन का प्रभावः</u> यह परिशिष्ट 11ख में यथा उल्लिखित विशिष्ट उत्पाद के मूल्य संवर्धन को समाविष्ट करता है। कोई अन्य परिवर्तन नहीं है।

(अनुप के. पुजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0.01/94/180/वैल्यू एडिशन/एए/एएम11/पीसी-4)